न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(रामकरण सिंह, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 428/2024

निर्णय दिनांक :— 13.10.2025

उनवान

1. मंगलराम पुत्र धुल्या जाति नाई निवासी श्रीसुखपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. मनीष कुमार पुत्र धुल्या जाति नाई निवासी श्रीसुखपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत नाम दुरुस्त किये जाने

उपस्थित :—

1. **श्री बनवारी लाल यादव, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **पेरोकार सरकार**

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षिप्त में है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता सं. 13 ख0नं0 4 रकबा 0.7082 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीसुखपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम मंगलराम है व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मनीष कुमार सैन है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मंगला व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मन्ना राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अंकित कर दिया। जबकि प्रार्थीगण के दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक, ई श्रम कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी लेटरपेड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट आदि में प्रार्थीगण के नाम मंगलराम व मनीष कुमार सैन ही अंकित है परन्तु जमाबन्दी में गलत अंकित होने से प्रार्थी अपने जायज हक अधिकारों से वंचित हो रहे है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पा रहे है। जमाबन्दी को दुरुस्त नही किया गया तो प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित व महरुम हो जावेगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय, अकथनीय क्षति कारित होगी। उक्त त्रूटि लापरवाही पूर्वक की गई त्रूटि है जिसे दुरुस्त किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः खाता सं. 13 ख0नं0 4 रकबा 0.7082 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीसुखपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मंगला के स्थान पर मंगलराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मन्ना के स्थान पर मनीष कुमार सैन अंकित किया जाकर जमाबन्दी को सही व दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया।

अप्रार्थी/तहसीलदार निवाई ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अंकित है। उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त एवं उपयोग उपभोग करता आ रहा है। पटवारी हल्का ललवाडी द्वारा मजमे आम में प्रार्थीगण की जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि प्रार्थी का सही नाम मंगलराम व मनीष कुमार है। प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त किये जाने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एंव पैरोकार सरकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :—

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बावत नाम दुरुस्त किये जाने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता सं. 13 ख0नं0 4 रकबा 0.7082 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीसुखपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम मंगलराम प्रार्थी संख्या 2 का नाम मनीष कुमार सैन है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मंगला व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मन्ना राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अंकित कर दिया। जबकि सही व वास्तविक नाम मंगलराम एवं मनीष कुमार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका, की प्रति एवं जन आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है। उक्त सभी में प्रार्थीगण का नाम मंगलराम व मनीष कुमार अंकित है जो सही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य प्रार्थीगण एवं तहसीलदार निवाई के जवाब से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार मंगलराम मन्ना पुत्र धूल्या दर्ज है। वस्तुतः सही व वास्तविक नाम मंगलराम व मनीष कुमार है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू–अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संगत, न्यायसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम श्रीसुखपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे खाता सं. 13 ख0नं0 4 रकबा 0.7082 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का नाम मंगला पुत्र धूल्या व मन्ना पुत्र धूल्या के स्थान पर मंगलराम पुत्र धूल्या व मनीष कुमार पुत्र धूल्या दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुये राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकरण सिंह
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी